



एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर से सुविधा लेने वाले सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों के लिए सूचना

Contributory Post Retirement Medicare Scheme for Non-Executives सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) चिकित्सा योजना के कंडिका क्रमांक 5.3 व 5.4 के तहत सभी सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों [भूतपूर्व कर्मचारी, पत्नी/पति एवं दिव्यांग बच्चे, यदि कोई हो तो] को हर साल दिसम्बर माह में **जीवन प्रमाण-पत्र [Life Certificate]** जमा करना होता है एवं अपने सीपीआरएमएसएनई मेडिकल कार्ड को पुनर्वैध कराना होता है।

वर्ष 2020 में, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर से सुविधा लेने वाले सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने एवं सीपीआरएमएसएनई मेडिकल कार्ड को पुनर्वैध कराने हेतु निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

1. **समय:** कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
2. **स्थान:** प्रबंधक (राजभाषा), एसईसीएल मुख्यालय के कार्यालय [एसईसीएल मुख्यालय परिसर में कैटीन / एसबीआई के पास]
3. **सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:**
 - i. निर्धारित प्रारूप में दोनों लाभार्थियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र, जैसा कि लागू हो
 - ii. मेडिकल कार्ड और एसईसीएल के कार्यालय आदेश, यदि कोई है, की स्वप्रमाणित प्रति
 - iii. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति [पहचान के लिए]

नोट: यदि सदस्य स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो जीवन प्रमाण पत्र सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) के खंड 5.3 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए; तथा ऐसे मामलों में दोनों सदस्यों की तस्वीरों को जीवन प्रमाण-पत्र पर चिपका कर संबंधित आधिकारिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

यदि संबंधित सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र भेज रहे हैं, तो जीवन प्रमाण पत्र [उपरोक्तानुसार तस्वीर लगा कर सत्यापित प्रति] लाने वाले व्यक्ति की पहचान प्रमाण पत्र की प्रति भी रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए प्रस्तुत की जाए।

बाद के महीनों में, संदर्भ के लिए सीपीआरएमएस-एनई सदस्य दावा प्रपत्रों के साथ जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न कर सकते हैं।

Contributory Post Retirement Medicare Scheme for Non-Executives सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) चिकित्सा योजना कोल इंडिया लिमिटेड [www.coalindia.in -> मेनू -> सूचना बैंक -> परिपत्र] तथा एसईसीएल [www.secl-cil.in -> सेवाएँ -> चिकित्सा सेवाएँ -> CPRMS-NE (Modified)] की वैबसाइट पर उपलब्ध है।



NOTICE FOR CPRMS-NE MEMBERS AVAILING BENEFITS FROM SECL HQ, BILASPUR

As per Clauses No. 5.3 & 5.4 of CPRMS-NE (Modified) [*As circulated by GM(MP&IR), CIL vide letter no. 137 dtd. 08.04.2020*], all the members [*Retired Non-Executive and/or Spouse and Divyang Child(ren), if any*] are required to submit **Life Certificate** every year in the month of December, and the CPRMS-NE Medical Card is to be revalidated on yearly basis on submission of Life Certificate.

For the year 2020, following modalities shall be followed for submission of Life Certificate and Revalidation of CPRMS-NE Medical Card in respect of CPRMS-NE Members availing benefits under the scheme from SECL HQ, Bilaspur:

1. **Timing:** 11 am to 1 pm on working days
2. **Location:** Office of Manager (Rajbhasha), SECL HQ [*near Canteen/SBI in SECL HQ premises*]
3. **Documents to be submitted by Members:**
 - i. Life Certificate in prescribed format duly signed by both beneficiaries, as applicable
 - ii. Self attested copy of Medical Card & SECL's Office Order, if any
 - iii. Self attested copy of Aadhar Card [for identity]

Note: *In case member is not able to present themselves physically, Life Certificate must be attested by any of the persons mentioned at Clause 5.3 of CPRMS-NE (Modified); In such cases, photographs of both members, as applicable, must be pasted over Life-Certificate and attested by the official certifying the same.*

In case concerned member is sending attested Life Certificate through someone else, copy of Identity Certificate of person bringing Life Certificate [duly attested along with photograph as above] shall also be submitted for record and reference.

For reference, members may attach a copy of Life Certificate along with Claim Forms in subsequent months.

Contributory Post Retirement Medicare Scheme for Non-Executives (CPRMS-NE) (Modified) is available on website of Coal India Limited [www.coalindia.in -> Menu -> Info Bank -> Circulars] as well as SECL [www.secl-cil.in -> Services -> Medical Services – CPRMS-NE (Modified)].